(9)

जमाबन्दी रद्द वाद संख्या–13/2008–09,119/2009–10,205/2011–12,114/2012–13
राज्य बनाम जुम्मन मियाँ

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि
6/1/2017 10.1.17	आदेश सरकार के उप सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची के पत्रांक 7686/रा0 दिनांक 05.08.2015 द्वारा इस निर्देश के साथ अभिलेख वापस किया गया है कि राजस्व विभागीय पत्रांक 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में यह स्पष्ट प्रावधानित है कि BLR Act 1950 की धारा– 4(h) के तहत अवैध जमाबंदी की जाँच समाहर्त्ता या उपायुक्त कर सकते है और अन्तिम आदेश पारित कर सकते है। ऐसे आदेश पर सरकार द्वारा संपुष्टि प्रदान संदर्भित मामलें में उपायुक्त द्वारा किसी भी अभिलेख में जमाबंदी रद्द करने का स्पष्ट आदेश पारित नही किया हैं। अपितु मात्र अनुशंसा की गई है। संदर्भित सभी अभिलेखों को वापस करते हुए निदेश दिया गया है कि सभी मामलों में जमाबन्दीधारी को नोटिश निर्गत कर पुनः आयुक्त, छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाय। उक्त निदेश के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारों को नोटिश दिनांक 26.08.2015 को निर्गत की गयी। पुनः दिनांक 29.01.2016 को नोटिश निर्गत किया गया। दिनांक 28.07.2016 को उत्तरवादी उपस्थित हुए। दिनांक 22.09.2016 को विपक्षी मो0 साजीद की ओर से कहा गया कि जुम्मन मियां की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व में हो चुका है और आवेदक (मो0 साजीद) जुम्मन मियाँ के पोता है। उत्तरवादी को इस संबंध में पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद अपने दावे के समर्थन में किसी तरह का मूल दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मामले में विचारणीय मुद्दा यह है कि – 1. क्या सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी कायम की गयी है? 2. अगर सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से जमाबंदी कायम हो तो क्या उक्त आदेश विधि–सम्मत है? अभिलेख एवं संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि मौजा लखारी, थाना नं0 101, खाता नं0 80, प्लॉट नं0 237,	

(10)

रकवा 2.81 एकड़ के गैरमजरूआ खास भूमि है, जिसकी जमाबंदी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के खोल दी गयी है। पंजी–।। के पृष्ट सं. 82/1 पर विपक्ष जुम्मन मियाँ के नाम बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी की प्रविष्टि निश्चित रूप से बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा राज्य सरकार को क्षति पहुँचाने की मंशा से की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, गिरिडीह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के जाँच एवं अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित गैरमजरूआ खास भूमि अंचल गिरिडीह के मौजा लखारी थाना नं0 101 खाता नं0 80 प्लॉट नं0 237, रकवा 2.81 एकड़ पंजी ।। के पृष्ट सं0 82/1 में जुम्मन मियाँ के नाम से दर्ज जमाबन्दी को भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द किया जाता है।

अभिलेख सम्पुष्टि हेतु आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।

10/01/12

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

उपायुक्त, गिरिडीह।